झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 5011/2018

---

1. बाल चंद भाई पटेल
2. विकाश कुमार
3. चन्द्रशेखर प्रसाद गुप्ता
4. राकेश कुमार रे
5. अर्जुन महतो
6. मो. मोकिम अंसारी
7. प्रदीप कुमार महतो
8. मो. हामिद अंसारी ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची
3. प्रधान सचिव, गृह, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची
4. सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय - काली नगर, चाय बागान, नामकुम, रांची
5. सचिव, परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय - काली नगर, चाय बागान, नामकुम, रांची ..... **प्रतिवादी**

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री अंकित विशाल, अधिवक्ता
सुश्री अदिति डुंगरावत, अधिवक्ता

जेएसएससी की ओर से : श्री संजय पिपरवाल, अधिवक्ता
श्री प्रिंस कुमार, अधिवक्ता
श्री राकेश रंजन, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री राहुल साबू, जी.पी-II
श्री अभिलाष कुमार, ए.सी टू जी.पी-II

सी.ए.वी. दिनांक : 25.07.2023 **घोषित - 22.12.2023**

न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन. पाठक ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

<u>प्रार्थना</u>

2. याचिकाकर्ता विज्ञापन संख्या 09/2017 (अनुलग्नक-1) के संबंध में प्रकाशित दिनांक 22.02.2018 (अनुलग्नक-2) के परिणाम से व्यथित हैं और इसलिए इसे रद्द करने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को विज्ञापन संख्या 09/2017 के अनुसार आयोजित सीमित परीक्षा के परिणाम बीसी-1 और बीसी-2 के न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने के बाद ही घोषित करने के निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को विज्ञापन संख्या 09/2017 में बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणियों के न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए भी निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग को बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणियों के लिए उसी पद के लिए कोई भी आवेदन आमंत्रित करने से रोकने के लिए प्रार्थना की है, जिसके लिए विज्ञापन संख्या 09/2017 के अनुसार परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं।

<u>तथ्यात्मक मैट्रिक्स</u>

3. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हवलदार/सहायक अवर निरीक्षकों में से 1544 अवर निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सीमित परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन संख्या 9/2017 जारी किया गया था। याचिकाकर्ता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2017 के पद के लिए 26.11.2017 को आयोजित उक्त परीक्षा में भी शामिल हुए थे। चयन प्रक्रिया तीन स्तरीय प्रणाली यानी लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा में निर्धारित की गई थी। परिणाम 22.02.2018 को घोषित किया गया था, लेकिन बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणियों का परिणाम घोषित नहीं किया गया था और उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के परिणाम को आयोग द्वारा इस आधार पर रोक दिया गया था कि इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों का उल्लेख उक्त विज्ञापन में नहीं किया गया था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें मजबूरन इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण</u>

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा, श्री अंकित विशाल और सुश्री अदिति डुंगरावत की सहायता से, दृढ़तापूर्वक आग्रह करते हैं कि याचिकाकर्ता आवश्यक योग्यता और मापदंड को पूरा करते हैं और आयोग द्वारा प्रकाशित परिणाम उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि बीसी-1 और बीसी-2 उम्मीदवारों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है और प्रतिवादियों द्वारा आज तक रोक कर रखा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विज्ञापन के खंड 13 (ii) से यह स्पष्ट है कि 1544 पदों में से, हालांकि आयोग ने बीसी-1 (कुल 124 पद), बीसी-2 (कुल 93 पद), सामान्य (772 पद), महिला (124) पदों के लिए एक अलग श्रेणी रखी थी, लेकिन उन्होंने बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों का उल्लेख नहीं किया है। अभ्यर्थियों को पेपर-2 और 3 में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के लिए 45%, एससी/एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40%, लेकिन बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक आयोग द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। परिणाम 22.02.2018 को घोषित किए गए, लेकिन बीसी-1 और बीसी-2 के परिणामों को प्रतिवादियों द्वारा इस आधार पर अवैध रूप से रोक दिया गया है कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अर्हक अंक विज्ञापन में उल्लिखित/निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। प्रतिवादियों की कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के विरुद्ध है, जिसमें निर्णयों की श्रृंखला में स्पष्ट रूप से माना गया है कि दो व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, जो समान स्थिति में नहीं हैं, मनमानी का कार्य है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। यह पहली बार था कि राज्य ने सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित की थी और इस तरह किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं थी। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि बेशक बीसी-1 और बीसी-II श्रेणियों के तहत सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की गई है और सभी सीटें खाली पड़ी हैं और इस तरह, याचिकाकर्ताओं के मामले में उक्त श्रेणी के लिए अलग-अलग योग्यता अंक निर्धारित/तय करके नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए था। 20.06.2022 के प्रत्युत्तर के अनुलग्नक-आर/1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक

सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने दिनांक 27.11.2012 के संकल्प के माध्यम से झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित परीक्षा के संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित श्रेणी-40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग-36.5 प्रतिशत, बीसी-1-34 प्रतिशत, एससी/एसटी/महिला वर्ग-32 प्रतिशत। इसी प्रकार, विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार ने अधिसूचना संख्या 4054, दिनांक 19.07.2018 के तहत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति से संबंधित मामले में कुछ संशोधन किया है और विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करते समय इस तथ्य के मद्देनजर विचार करना चाहिए था कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों की तुलना सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से नहीं की जा सकती है। यह एक उपयुक्त मामला है जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है।

<u>प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतीकरण</u>

5. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

6. श्री राहुल साबू, विद्वान जीपी-I ने प्रस्तुत किया कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने संकल्प संख्या 252, दिनांक 28.01.2016 के तहत "झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती नियम, 2016" का गठन किया है। उक्त संकल्प के नियम 19 में स्पष्ट रूप से दोनों पेपरों में अलग-अलग 45% अंक और अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक के रूप में कुल 50% अंक निर्धारित किए गए हैं। उक्त नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों की छूट होगी, अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक दोनों पेपरों में अलग-अलग 40% और उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में कुल 45% अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें कोई अवैधता या कोई कमी नहीं है और रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पिपरवाल एवं श्री प्रिंस कुमार की सहायता से - आयोग ने प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन 09/2017 (अनुलग्नक-1) के खंड-8 एवं खंड-13 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनारक्षित वर्ग अथवा ईबीसी-I अथवा बीसी-II वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड एवं न्यूनतम अर्हता अंक समान हैं। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई तथा अभ्यर्थियों को शारीरिक एवं चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया, तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन किया गया। तत्पश्चात 22.02.2018 को अंतिम परिणाम प्रकाशित किया गया। आयोग द्वारा दायर प्रति शपथ पत्र के पैरा-14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन संख्या 09/2017 के अनुसार 3350 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि केवल 3219 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए। भर्ती नियमों के अनुसार, केवल 663 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया और उन्हें शारीरिक और अन्य परीक्षणों के लिए बुलाया गया। 663 उम्मीदवारों में से, केवल 399 को शारीरिक परीक्षण में शारीरिक रूप से फिट घोषित किया गया और उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल 398 उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया गया और उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा और एक उम्मीदवार का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया और इस तरह केवल 396 उम्मीदवारों के नाम की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा सिफारिश की गई। अनारक्षित श्रेणी के तहत 772 रिक्तियों में से, केवल 290 को उक्त श्रेणी के तहत अनुशंसित किया गया था; अनुसूचित जाति के तहत 154 पदों में से, केवल 39 को उक्त श्रेणी के तहत अनुशंसित किया गया था; अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 401 रिक्तियों में से, केवल 67 उम्मीदवारों को उक्त श्रेणी के तहत अनुशंसित किया गया था; जबकि ईबीसी-I के तहत 124 रिक्तियों और बीसी-II श्रेणियों के तहत 93 रिक्तियों में से किसी की भी सिफारिश नहीं की गई। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि ईबीसी-I श्रेणी के 63 उम्मीदवारों और बीसी-II श्रेणी के 33 उम्मीदवारों ने अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल किए थे और इस तरह उन्हें अनारक्षित श्रेणी में अनुशंसित किया गया है। इस प्रकार, ईबीसी-1 के तहत 63 उम्मीदवारों और बीसी-II श्रेणी के 33 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पहले ही अनुशंसित किया जा चुका है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि बीसी-I

और बीसी-II के कट-ऑफ अंक विज्ञापन में निर्धारित/निर्दिष्ट नहीं थे, जिसके कारण उनके परिणामों का प्रकाशन नहीं हुआ, भ्रामक, गलत और नकारा गया है। अनारक्षित, बीसी-II और ईबीसीआई श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक समान हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने पेपर-2 और पेपर-3 में न्यूनतम कुल अंक प्राप्त नहीं किए थे और इस तरह उन्हें सफल घोषित नहीं किया गया, जो कि आयोग द्वारा 18.12.2020 को दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक ए से स्पष्ट है। तत्काल रिट याचिका में सफल उम्मीदवारों को पार्टी-प्रतिवादी के रूप में शामिल न करने के कारण रिट याचिका में और भी अधिक योग्यता नहीं है। चयन प्रक्रिया 2018 में ही पूरी हो चुकी है और इसमें कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है। रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

<u>न्यायालय के निष्कर्ष</u>

8. दोनों पक्षों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुतीकरण और कानूनी प्रस्ताव से, यह न्यायालय इस विचार पर है कि इस रिट याचिका में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

9. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 09/2017 के संबंध में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे और उसके बाद, जब उन्हें असफल घोषित किया गया, तो उन्होंने विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देकर 'यू' टर्न ले लिया, जो कानून की नज़र में अस्वीकार्य है। न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि अंतिम परिणाम पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं और सभी उम्मीदवारों के मामले में एक ही मानदंड लागू किया गया है और कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों में से जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हैं और मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए गए हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि ईबीसी-I श्रेणी के 63 उम्मीदवारों और बीसी-II श्रेणी के 33 उम्मीदवारों ने अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए थे और इस तरह, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में

अनुशंसित किया गया है। इस प्रकार, ईबीसी-I के तहत 63 उम्मीदवारों और बीसी-II श्रेणी के तहत 33 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पहले ही अनुशंसित किया जा चुका है। ईबीसी-I और बीसी-II के तहत योग्य उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के तहत चुना गया था और इस तरह, उन उम्मीदवारों के लिए कोई अलग परिणाम और कट-ऑफ अंक नहीं थे। विवरणिका/विज्ञापन के खंड-13 से, जिसे अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न किया गया है, यह स्पष्ट है कि अनारक्षित, बीसी-II और ईबीसी-I श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक समान हैं।

11. उपरोक्त तथ्यों और अभिलेख पर लाए गए विभिन्न दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र भरते समय विज्ञापन को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि वे उससे संतुष्ट थे और जब उन्हें असफल घोषित किया गया, तभी उन्होंने विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देते हुए 'यू' टर्न लिया। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को शर्तों की जानकारी नहीं थी और उन्हें बाद में जोड़ा गया है, बल्कि वे शर्तों से पूरी तरह संतुष्ट और अवगत होने के कारण उन्हें स्वीकार कर लिया और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए।

12. विज्ञापन की शर्तों और नियमों में न तो ढील दी जा सकती है और न ही उनमें बदलाव किया जा सकता है। उक्त कानूनी प्रस्ताव अब और अधिक प्रासंगिक नहीं है और इसे **बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदुल्लाह खान** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय से बल मिलता है, जिसकी रिपोर्ट **(2011) 12 एससीसी 85** में दी गई है, जिसका प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:

> **"29.** हमने पूरे मामले पर विस्तार से विचार किया है। हमारी राय में, यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर सभी नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी उम्मीदवार को कोई अनुचित पक्षपात दिखाए जाने के परिणामस्वरूप कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए, चयन प्रक्रिया निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से संचालित की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, जब किसी विज्ञापन में किसी विशेष अनुसूची का उल्लेख किया जाता है, तो उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। विज्ञापन की शर्तों में कोई छूट नहीं दी जा सकती है, जब तक कि ऐसी शक्ति विशेष रूप से आरक्षित न हो। ऐसी शक्ति प्रासंगिक वैधानिक नियमों में आरक्षित की जा सकती है। भले ही नियमों में छूट की शक्ति प्रदान की गई हो, फिर भी इसका उल्लेख विज्ञापन में किया जाना चाहिए। नियमों में ऐसी शक्ति के अभाव में, इसे अभी भी विज्ञापन में

प्रदान किया जा सकता है। हालाँकि, यदि छूट की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसे उचित प्रचार दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि छूट के कारण पात्र बनने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर दिया जाए। उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन में किसी भी शर्त में छूट देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के जनादेश के विपरीत होगा।

32. ऐसे निष्कर्षों के मद्देनजर, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सामग्रियों के विपरीत है। यह स्थापित कानून है कि विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों में कोई छूट नहीं दी जा सकती है जब तक कि छूट की शक्ति प्रासंगिक नियमों और/या विज्ञापन में विधिवत आरक्षित न हो। यहां तक कि अगर नियमों में छूट की शक्ति है, तो भी विज्ञापन में इसे विशेष रूप से इंगित करना होगा। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई नियम हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, चयन सूची के प्रकाशन के साथ प्रस्तुत पहचान पत्र के आधार पर प्रतिवादी 1 के दावे पर विचार करने के लिए विवादित निर्देश जारी नहीं कर सकता था।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री इंद्रजीत सिन्हा ने **श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त एवं अन्य** के मामले **(2016) 3 एससीसी 643** में दिए गए फैसले पर काफी भरोसा जताया है, जिसका प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:

> "29. यह देखा जा सकता है कि श्री अग्रवाल दृढ़ आधार पर हैं क्योंकि इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि ऐसे नियम या विनियम जो अधीनस्थ विधान की प्रकृति के हैं और जो अधिकार-विहीन हैं, उन्हें न्यायालयों द्वारा तब अनदेखा किया जाना चाहिए जब उनके प्रवर्तन का प्रश्न उठता है और केवल यह तथ्य कि उन्हें निरस्त करने या अधिकार-विहीन घोषित करने के लिए कोई विशेष राहत नहीं मांगी गई है, न्यायालय द्वारा उन्हें लागू न करने के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। हम यह भी महसूस करते हैं कि चूंकि यह ब्याज लगाने के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है और अन्यथा इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा कवर किया गया है, इसलिए यदि हम श्री अग्रवाल को यह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हैं तो यह न्याय का उपहास होगा।"

14. उक्त निर्णय और उसकी व्याख्या को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिकाकर्ताओं के बजाय प्रतिवादियों की मदद कर रहा है, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों को अधिकारहीन घोषित नहीं किया गया है और यह न्यायालय के उन्हें लागू न करने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यू.पी. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम अयोध्या प्रसाद मिश्रा, (2008) 10 एससीसी 139** के मामले में दिए गए फैसले के **पैरा-40** में निम्नानुसार माना है:

> "40. यह सर्वविदित है कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सर्वविदित है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह सही माना कि श्रेणी I में रखे गए कार्यकारी इंजीनियरों को श्रेणी II में रखे गए कार्यकारी इंजीनियरों की तुलना में अधीक्षक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिकता और वरीयता मिलनी चाहिए।"

16. चूंकि नियुक्तियां पुलिस मैनुअल के नियम-659 (क) और (ख) के पूर्णतः अनुरूप की गई हैं तथा झारखंड राज्य उपनिरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता भर्ती नियम, 2016, विशेष रूप से नियम-19 के अनुसार जारी दिनांक 28.01.2016 के परिणाम पर भी विचार किया गया है, अतः इस न्यायालय का यह मत है कि प्रतिवादियों द्वारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करने में कोई अवैधता नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क कानून की दृष्टि में बिल्कुल भी मान्य नहीं है।

17. रिट याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

18. प्रत्येक पक्ष अपनी लागत स्वयं वहन करे।

(न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।